राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7989/2015

अशोक कुमार गोस्वामी पुत्र श्री कैलाश चंद्र, आयु 48 वर्ष, निवासी 7-सा-18, साउथ एक्सटेंशन, बीकानेर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री संजीत पुरोहित।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री श्रवण कुमार ।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>16/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत 17.07.2015 (अनुलग्नक 11 और 12) के दो

आदेशों से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था और सीसीए नियमों के तहत विभागीय जांच शुरू की गई थी।

2. संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 याचिकाकर्ता को शुरू में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। उच्च श्रेणी क्लर्क के पद पर पदोन्नति के लिए, उसे एक घोषणा पत्र देना था जिसमें कहा गया था कि कट-ऑफ तिथि यानी 01.06.2002 के बाद उसके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने घोषणा की कि 01.06.2002 तक उसके केवल दो बच्चे थे, लेकिन उसने उस समय अपनी प्रस्तावित पदोन्नति को छोड़ने का फैसला किया।

2.2 इसके बाद, 30.10.2010 को याचिकाकर्ता को फिर से पदोन्नति के लिए विचार किया गया और उसे उच्च श्रेणी क्लर्क के पद पर पदोन्नत किया गया। इस बार उन्होंने अपने बच्चों के संबंध में कोई नया घोषणा पत्र नहीं दिया तथा पदोन्नति स्वीकार कर ली।

2.3 उनके उच्च श्रेणी लिपिक का पदभार ग्रहण करने के पश्चात उनके साले ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण 18.01.2011 को शिकायत दर्ज कराई कि याचिकाकर्ता के पदोन्नति से पूर्व तीसरा बच्चा था। इस शिकायत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 ने 20.08.2014 को एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि तीन बच्चे होने के बावजूद याचिकाकर्ता को 18 वर्षीय चयन ग्रेड एवं पदोन्नति का लाभ मिला, जो विभागीय नियमों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता को 22.08.2014 तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया।

2.4 याचिकाकर्ता 22.08.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उपस्थित हुआ तथा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उसने कोई तथ्य नहीं छिपाया है तथा न ही चयन वेतनमान एवं पदोन्नति का गलत लाभ उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 30.10.2010 के आदेश के बाद

कोई घोषणा प्रस्तुत नहीं की और उन्हें उनकी पिछली घोषणा के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई।

2.5 इस स्पष्टीकरण के बावजूद, 22.08.2014 को एक प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 01.06.2002 की घोषणा और पदोन्नति के दूसरे चरण के बीच उन्हें तीसरा बच्चा हुआ। इस प्रकार पाया गया कि 18.01.2011 को यानी पदोन्नति आदेश के दिन उनके तीन बच्चे थे।

2.6. 08.09.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर वापस करने का आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने वापसी की सजा को चुनौती नहीं दी और उसे स्वीकार कर लिया।

2.7 उपरोक्तानुसार रैंक में कमी के प्रमुख दंड से दंडित होने के पश्चात, प्रतिवादी संख्या 2 ने 17.07.2015 को एक और आदेश जारी किया, जिसमें राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के नियम 16 के अंतर्गत विभागीय जांच लंबित रहने तक याचिकाकर्ता को सेवा से निलंबित कर दिया गया। उसी दिन, 17.07.2015 को, प्रतिवादी संख्या 2 ने आरोपों के विवरण के साथ एक ज्ञापन जारी किया। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रतिवादियों के उत्तर में प्रस्तुत बचाव यह है कि याचिकाकर्ता को उच्च श्रेणी लिपिक के पद से निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर वापस करने का आदेश दंड आदेश नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका अपरिपक्व है, क्योंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई जांच अभी भी प्रारंभिक चरण में है, और उसके विरुद्ध कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. तथ्यों के विवरण और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, यह स्पष्ट है कि जब याचिकाकर्ता को पहली बार पदोन्नति की पेशकश की गई थी, तो

उसके विवाह से दो बच्चे थे। हालांकि, कुछ व्यक्तिगत कारणों से, उसने पदोन्नति को छोड़ने का फैसला किया, भले ही उसने उस समय एक हलफनामा प्रस्तुत किया था जिसमें पदोन्नति के लिए अपनी पात्रता की घोषणा की गई थी। कट-ऑफ तिथि, 1 जून, 2002 तक, उसके दो से अधिक बच्चे नहीं थे।

6. पहले और दूसरे पदोन्नति अवसरों के बीच, याचिकाकर्ता को तीसरा बच्चा हुआ, जिसके कारण अंततः उसकी पदोन्नति रद्द कर दी गई। 8 सितंबर, 2014 के एक प्रशासनिक आदेश में, याचिकाकर्ता को दी गई पदोन्नति वापस ले ली गई, और उसे पदावनत कर दिया गया, एक निर्णय जिसे उसने नियति के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि, मुद्दा यहीं खत्म नहीं हुआ। याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के बीच वैवाहिक कलह के कारण, उसके साले ने शिकायत दर्ज कराई कि याचिकाकर्ता ने झूठा हलफनामा पेश किया है जिसमें कहा गया है कि उसके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं।

7. रिट याचिका के पैराग्राफ 7 में, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि उसने 18 जनवरी, 2011 को अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर अपनी पदोन्नति के समय कभी भी कोई हलफनामा दायर नहीं किया था, जिसमें कहा गया हो कि उसके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं। रिट याचिका के अपने उत्तर में, प्रतिवादियों ने इस दावे का खंडन नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने बहुत ही अधूरा और अस्पष्ट उत्तर दिया, जिसमें रिट याचिका में निहित विशिष्ट कथनों को संबोधित करने में विफल रहे। वास्तव में, रिट याचिका के पैरा संख्या 7 पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जो कि उपयुक्त होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

> "7. कि प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
> सिंथल

(बीकानेर) ने एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसके तहत याचिकाकर्ता को 18.01.2011 को उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिंथल में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले याचिकाकर्ता ने अपने बच्चों की संख्या के बारे में कोई घोषणा प्रस्तुत नहीं की थी। उसे उसके द्वारा प्रस्तुत पूर्व घोषणा के आधार पर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई।"

8. उत्तर के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के इस दावे का कोई सीधा जवाब नहीं है कि उसने 18 जनवरी, 2011 को उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर अपनी पदोन्नति के समय कोई हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया था, जिसमें यह घोषित किया गया हो कि उसके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं। हालांकि, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता के दो से अधिक बच्चे थे, जिनमें से तीसरा बच्चा कट ऑफ तिथि के बाद पैदा हुआ था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि याचिकाकर्ता ने दो से अधिक बच्चे होने से इनकार नहीं किया है। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या 18 जनवरी, 2011 को पदोन्नति के समय उसने हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि कट-ऑफ तिथि तक उसके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं? प्रतिवादियों के उत्तर से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने 18 जनवरी, 2011 को पदोन्नति के समय ऐसा हलफनामा दायर नहीं किया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह हलफनामा उसकी पहली पदोन्नति के दौरान दायर किया गया था। यदि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई हलफनामा प्रस्तुत किया होता तो विभाग उसे रिकॉर्ड में दर्ज कर सकता था। हालांकि, निश्चित रूप से, विभाग ने याचिका के अपने उत्तर में

दावा किया है कि उसके बाद की पदोन्नति के समय उसके तीन बच्चे थे। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के रिट याचिका के पैराग्राफ 7 में दिए गए दावे का खंडन नहीं किया है जिसमें कहा गया है कि बाद की पदोन्नति के समय ऐसा कोई दूसरा हलफनामा दायर नहीं किया गया था।

9. सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या किसी विभागीय नियम के अंतर्गत 1 जून, 2002 के बाद सेवा के दौरान जानबूझकर या दुर्घटनावश तीसरा बच्चा पैदा करने वाले सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त या दंडित किया जा सकता है, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

10. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 25 सी में दो बच्चों के मानदंड को स्वयं ही हटा दिया गया है।

11. परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, मेरा मत है कि याचिकाकर्ता को इस स्तर पर नियमों में अनुकूल परिवर्तन के लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के बीच वैवाहिक कटुता को याचिकाकर्ता को दूसरी बार दंडित करने के आधार के रूप में अनुचित लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

12. परिणामस्वरूप, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही विभाग द्वारा याचिकाकर्ता की अलग रह रही पत्नी और साले की शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी। इस प्रकार ये कार्यवाही दोषपूर्ण और अवैध घोषित की गई है।

13. परिणामस्वरूप, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और दिनांक 17.07.2015 (अनुलग्नक 11) के विवादित आदेश और दिनांक 17.07.2015

(अनुलग्नक 12) के आरोप-पत्र दोनों को आगामी परिणामों के साथ अलग रखा जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।